

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

-: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या-01/स्था0राज0 (स्थाना0)-08/2012 सह0-.....

राँची, दिनांक-16.03.2022

श्री देवन्द्र सिंह, प्रबंध निदेशक, झास्कोलैम्पफ, राँची अतिरिक्त प्रभार-उप निबंधक, स0स0, उ0छे0प्र0, हजारीबाग को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप निबंधक, स0स0, उ0छे0प्र0, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित करते हुए प्रबंध निदेशक, झास्कोलैम्पफ, राँची का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

अधिसूचना संख्या-01/स्था0राज0 (स्थाना0)-08/2012 सह0-.....

राँची, दिनांक-16.03.2022

श्री आत्म अभय टोपो, प्रशासी पदाधिकारी, झास्कोलैम्पफ, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला सहकारिता पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित करते हुए प्रशासी पदाधिकारी, झास्कोलैम्पफ, राँची का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

02. अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई आर्थिक लाभ देय नहीं होगा।

03. सभी स्थानान्तरित पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे 7 (सात) दिनों के अन्दर अपने स्थानान्तरित स्थान पर योगदान देते हुए प्रभार प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अतः झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 6(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल अधिसूचना में उल्लिखित सभी पदाधिकारियों को स्तम्भ-3 में वर्णित शक्ति सीमा के अधीन उक्त अधिनियम एवं झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 1959 के अन्तर्गत निबंधक सहयोग समितियाँ की वे शक्तियाँ प्रदत्त करते हैं, जो नीचे स्तम्भ-2 में अंकित हैं:-

क्र0	शक्तियाँ	शक्ति सीमा
1	2	3
2	झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 1935 की धारा 26, 44(5), 48(6), 48(8) एवं 56 को छोड़कर अन्य सारी शक्तियाँ एवं झारखण्ड सहकारी सोसाईटी नियमावली 1959 के नियम-37, 38 एवं 39 को छोड़कर नियम 20, 22, 23, 24 एवं 25 सहित अन्य सारी शक्तियाँ।	उनके क्षेत्राधिकार के अन्दर जिला सहकारिता पदाधिकारी की सारी शक्तियाँ
3	झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 1935 की धारा 26 एवं 56 को छोड़कर अन्य सारी शक्तियाँ।	उनके क्षेत्राधिकार के अन्दर उप निबंधक, सहयोग समितियाँ की सारी शक्तियाँ

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(सतीश कुमार)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-01/स्था0राज0 (स्थाना0)-08/2012 सह0-.....344

/राँची, दिनांक-.....16.03.2022

प्रतिलिपि:-अधीक्षक मुद्राणालय डोरण्डा, राँची को राजपत्र के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ एवं उसकी 25 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-01/स्था0राज0 (स्थाना0)-08/2012 सह0-.....344

/राँची, दिनांक-.....16.03.2022

प्रतिलिपि:-महालेखाकार झारखण्ड, राँची/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-01/स्था0राज0 (स्थाना0)-08/2012 सह0-.....344

/राँची, दिनांक-.....16.03.2022

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निबंधक सहयोग समितियाँ झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण सहित)/सभी उप निबंधक सहयोग समितियाँ झारखण्ड/राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी आई0सी0डी0पी0, झारखण्ड/अध्यक्ष झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, राँची/सभी महाप्रबंधक आई0सी0डी0पी0, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, वेजफेड/झारखण्ड/झाम्फकोफेड/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियाँ, झारखण्ड/सभी सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

AC 16.3.2022

सरकार के उप सचिव।

E-Mail